मुकदमा दर्ज होने से बौखलाये डीएवी के डायरेक्टर

ठगी के बाद आत्म हत्या की दी धमकी

फरीदाबाद (म.मो.) शहर के एन एच 3 स्थित डी ए वी कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट के दो ठगीमार डायरेक्टरों-एन के शर्मा व अमित चक्रपाणी के विरुद्ध थाना सूरजकुंड में दिनांक 14.2.13 को भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 467,471 व 120 बी के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 39 दर्ज होने से दोनों मानसिक संतुलन खो कर उल्टी सीधी बयानबाज़ी करने के साथ-साथ आत्म हत्या तक करने की धमकियां दे रहे हैं।

अदालत के आदेश पर पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत में राजकुमार शर्मा ने कहा है कि वह एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी का पार्टनर है। उसे वर्ष 2008 में इन दोनों ने झांसे में ले कर अपने कॉलेज के लिये कुछ बसें खरीदने के लिये एक लेखपत्र तैयार करके 18 लाख रुपये बजरिया चेक प्राप्त कर लिये, लेकिन लेखपत्र में तय शर्तों के अनुसार न तो कोई मुनाफ़ा दिया और न ही मूल रकम लौटाई। मुकदमा दर्ज होने के बाद इन दोनों ठगों ने अपने अड्डे डी ए वी कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट में दिनांक 19.2.13 को एक प्रेस वार्ता बुलाई।

इस वार्ता में इन दोनों ने दर्ज मुकदमें के बारे में तो केवल इतना ही कहा कि यह सब झूठ है, उन्होंने राजकुमार से कुछ नहीं लिया; लेकिन बेसिर पैर की ऊल जुलूल कहानियों का बखान ज़्यादा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुकदमा अशोक मित्तल व 'मज़दूर मोचा' के सम्पादक सतीश कुमार ने इस लिये दर्ज कराया है कि एन के शर्मा ने 24.8.12 को इन दोनों के विरुद्ध थाना सेंट्रल में एक मुकदमा दर्ज कराया था।

उस मुकदमें की सारी कहानी मोर्चा के सुधी पाठक पहले ही पढ़ चुके हैं। यह झूठा मुकदमा मित्तल या सतीश के अलावा तहसीलदार व हूड्डा के एस्टेट अफ़सर के विरुद्ध भी था। इस मुकदमे में लगाई गयी सभी ग़लत धाराओं का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन डी सी पी सेंट्रल डा. अभय सिंह द्वारा बाकायदा एक मीमो नं. 1883 दिनांक 28.8 तफ़तीशी अधिकारी ए सी पी सेंट्रल को लिखा गया था। अशोक मित्तल की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने काफ़ी सख्त टिप्पणियां करते हुए राज्य पुलिस प्रमुख को विशेष हिदायत भी जारी की थी। मित्तल के अलावा इस केस में न तो कोई गिरफ़्तारी हुई है और न ही होने की संभावना है। मित्तल की पूर्णतया गैरकानूनी गिरफ़्तारी भी पुलिस की दादागिरी के अलावा कुछ नहीं थी।

प्रेस वार्ता में दोनों ठगों ने यह भी बताया कि दिनांक 12.10.12 को नरेश मित्तल की शिकायत पर उनके विरुद्ध धोखा धड़ी का जो मुकदमा नं. 366 दर्ज हुआ था, उसे पुलिस ने निराधार पा कर रद्द कर दिया है। दरअसल रद्द करने की यह कार्यवाही दिनांक 21.11.12 को पूर्व सी पी कपूर के कार्यकाल में सम्पन्न हुई थी। कहने की जरूरत नहीं कि जो सी पी इन ठगों के प्रभाव में आ कर झूठा मुकदमा दर्ज करा सकता है तो वह अच्छे भले मजबूत केस को रद्द भी करा सकता है। पुलिस तमाम दस्तावेजी सबूतों की अनदेखी कर के किसी मुकद्में को बेशक रद्द कर दे, परन्तु इसका अन्तिम निर्णय तो फ़िर अदालत ने ही करना होता है।

गौरतलब है कि जब यह मुकदमा दर्ज हुआ था उस वक्त न तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा और न ही इन्होंने आत्महत्या की धमकी दी थी, जाहिर है उस वक्त इनकी सी पी साहब से अट्टी सट्टी ठीक चल रही थी, लेकिन अब के बदले हालात ने इन्हें बौखलाने पर मजबूर कर दिया। जानकार बताते हैं कि इन्होंने शिकायतकर्ता राजकुमार को आत्महत्या की धमकी देते हुए केस वापस करने को कहा है। इस बाबत राजकुमार ने एस एच ओ को सूचित कर दिया है। अपने आप को शिक्षाविद बताते हुए इन दोनों ठगों ने मुख्यमन्त्री से भी गुहार लगाई है कि यदि उन्हें राहत न दी गयी तो वे आत्महत्या करने को मजबूर होंगे।

दरअसल शिक्षाविद का लबादा ओढे इन दोनों जालसाज़ों ने शिक्षा के क्षेत्र से हट कर प्रापर्टी डीलिंग में जालसाजी करने का काम इतना ज़्यादा कर रखा है कि ये न जाने कितने लोग़ों के देनदार हैं, और जब उन लोगों का दबाव बढेगा, मुकदमे दर्ज होंगे तो आत्महत्या करने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता होगा भी नहीं। इसलिये देर सबेर आत्महत्या तो इनको करनी ही है। पुलिस को चाहिये कि समय रहते इन धमकियों का संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाये।

वार्ता के अन्त में ये ज़ालसाज बताते हैं कि डी ए वी संस्थान शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी ऊंचा स्थान रखती है। इसके कॉलेज में कोई भी अनैतिक व ग़लत कार्य नहीं होता। यह ठीक है आर्य समाज के महात्माओं ने शिक्षा व संस्कृति के उत्थान हेतु उच्च आदर्शों वाली इस संस्था का निर्माण किया था। परन्तु उन्हें इस बात का कभी एहसास तक नहीं था कि एक दिन इस संस्थान की मिट्टी इस कदर पलीत होगी। इसके लिये अकेले ये ठग ज़िम्मेवार नहीं हैं। बल्कि चित्रगुप्त मार्ग दिल्ली में बैठ डी ए वी संस्थान के वे लोग हैं जिन्होंने इस संस्थान की पवित्रता को बेचकर इसे लूट खसूट का जरिया बना लिया है। समझना जरूरी है कि क्या देख कर उन्होंने एन के शर्मा को यह कॉलेज सौंप रखा है? जब कोई संस्थान शिक्षा जैसे पवित्र उद्देश्य से भटक कर लूट जैसे घिनोने कार्यों में जुट जाता है तो उसे एन के शर्मा जैसे नकली शिक्षाविदों की जरूरत पड़ती है। शिक्षा के नाम पर विद्यार्थियों को डोनेशन ठगना तथा स्टाफ़ को वेतन भी रुला-रुला कर देने से ही लूट की आमदनी बढ़ती है। एन के शर्मा व अमित की जुगल जोड़ी इस काम में पूर्णतया पारंगत व सफ़ल सिद्ध हुई है। जिनकी सफ़लता को देखते हुए कहा जा सकता है कि डी ए वी संस्थान के शीर्ष प्रबन्धकों ने इनकी नियुक्ति बिल्कुल सही कर रखी है। समझने वाली बात यह भी है कि इस जोड़ी द्वारा ठगी की रकम बाकायदा बजरिया चेक ली जाती है और वह भी डी ए वी संस्थान के नाम। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उच्च प्रबन्धकों ने इन्हें जालसाज़ी करने की खुली छूट दे रखी है।

पिछले एक दो वर्ष से इनकी लूट का धंधा कुछ मंदा चल रहा है। क्योंकि आम जनता को इनकी हकीकत का काफ़ी हद तक पता चल चुकी है। वरना पहले प्रतिवर्ष 14 से 16 करोड़ वार्षिक की कमाई होती थी। इस कमाई में सेंधमारी को सुरक्षित बनाये रखने के लिये एन के शर्मा ने डी ए वी संस्थान के प्रधान के एक दामाद को यहां पाल कर रखा था। इस पर कॉलेज का लाखों रुपया मासिक खर्च होता था। मजे की बात तो यह है कि नये प्रधान पूनम सूरी के आने के बाद भी इनकी लूट एवं सेंधमारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसी से स्पष्ट है कि इस कॉलेज में चलने वाला सारा गोरख धंधा डी ए वी कॉलेज प्रबन्धन कमेटी चित्रगुप्त मार्ग दिल्ली के पूर्ण सहयोग एवं संरक्षण से चल रहा है।

पत्रकार और मुख्यमंत्री के बीच के खेल से मची खलबली

करनाल (जे के पी के) करनाल के एक पत्रकार और मुख्यमंत्री के बीच जो खेल चल रहा है उससे जनता और पत्रकारों के बीच एक खलबली सी मची है। पुलिस भी बीच मोहरा बन रही है कारण बोट बैंक की राजनीति लग रही है। आज हालात ये है कि जब भी मुख्यमंत्री करनाल हो कर निकलते हैं और पुलिस आनन्द शर्मा को गिरफ़्तार कर लेती है जैसे ही मुख्यमंत्री करनाल से गुजर जाते हैं तो रिहा कर दिया जाता है। हालांकि करनाल की अदालत भी पुलिस को झुठा केस दर्ज करने की लताड़ लगा चुकी है। लेकिन पुलिस की मजबूरी है पत्रकार आनन्द शर्मा व मुख्यमंत्री की भेंट न हो।

आनन्द शर्मा के अनुसार 2 अप्रैल 2012 को कालीदास रंगशाला में एक सिक्ख सम्मेलन में आतंकवादी बलवन्त सिंह राजोआणा मुर्दाबाद के नारे लगाने पर थाना सिविल लाईन पुलिस ने आनन्द शर्मा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ़ 153 ए के तहत चालान कर 14 दिन का रिमाण्ड मांग लिया। लेकिन सीजे एम राजन वालिया की अदालत ने दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद 3 अर्पैल को जमानत दे दी और अगली पेशी 6 अक्तूबर को अरोप मुक्त करते हुए कहा कि सच कहना कोई दोष नहीं है। न्यायाधीश ने पुलिस की अच्छी खिंचाई भी की लेकिन पुलिस तो हकूमत की गुलाम है और हाकिमों की आंख में डर व शर्म कभी रही नहीं लिहाजा मुख्यमंत्री करनाल से गुजरते है तो आनन्द शर्मा पर पहरा लगा दिया जाता है। उस दिन आनन्द शर्मा किसी काम से भी अपने रिश्तेदारों से नही मिल सकता। 14 अगस्त मुख्यमंत्री करनाल आये तो सुबह ही सवेरे पत्रकार आनन्द शर्मा को घर से एस एच ओ सी आई ए 1 उठा निसिंग थाना करनाल से 25 किलोमीटर दूर बन्द कर थाना शहर करनाल डी डी आर 28 दर्ज कर धारा 107-151 में चालान कर दिया ताकि अवैध हिरासत को वैध करार दिया जा सके। हत्यारे देश द्रोही आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआणा व जरनैल सिंह भिण्डरावाले को अकाल तख्त द्वारा जिन्दा शहीद जैसे खिताब देकर सम्मान देने की परम्परा का कड़ा विरोध करने पर 15 अगस्त 2012 के बाद पुन: 24 अक्टूबर 2012 दशहरे के दिन आतंकवादी राजोआणा व भिण्डरावाले का पुतला फूंकने की घोषणा करने पर आतंकवादी राजोआणा व भिण्डरावाले के समर्थक हरियाणा गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिण्डा के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन दे कर मांग की कि भड़काऊ बयान देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की उस पर करनाल पुलिस ने 107-151 में चालान काट कर बन्द कर दिया। आनन्द शर्मा ने आरोप लगाया कि करनाल पुलिस ने सत्ताधारियों इशारे पर वोट पक्का करने के लिये न केवल झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया अपितु 18 नवम्बर को मुख्यमंत्री के कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने व 16 दिसम्बर 2012 को कुलदीप शर्मा विधान सभा अध्यक्ष के पिता की मूर्ति का अनावरण करने आये तो फिर मुझे मेरे घर पर दोनों बार नजर बन्द कर दिया। यही नही 16 जनवरी 2013 गुरू गोबिन्द सिह की शोभा यात्रा के दिन सिक्खो की शिकायत पर मैडिकल स्टोर की दुकान पर 7+7 का बोर्ड जिस पर आतंकवादी राजोआणा व भिण्डरावाले के खिलाफ फोटो छपी है उसे उतारने का आदेश दिया कि इससे सिक्ख समाज भड़क सकता है जबकि उस ओर शोभा यात्रा कभी नही निकलती। करनाल पुलिस ने उस बोर्ड को फड़वा का सारा दिन थाना शहर में अवैध हिरासत में रखा। आनन्द शर्मा बलवन्त सिंह राजोआणा व भिण्डवाला को आतंकवादी कह रहा है। जिसे सिक्ख समाज सहन नहीं करेगा और इस मांग के आगे पुलिस झुक गई और कारण बताया कि अमन चैन खराब हो रहा है कैसा अमन चेन खराब हो रहा है इस बारे पुलिस चुप है। विडम्बना है कि एक इकलौते पत्रकार की कलम को आन्दोलन से वोटों की राजनीति से पीड़ी मुख्यमंत्री पूर्णरूप से भयभीत है। मुख्यमंत्री कलम से भयभीत या सिक्ख वोटो से स्पष्ट नहीं है। अब पत्रकार आनन्द शर्मा ने मुख्य न्यायधीश सर्वोच्च न्यायालय को शिकायत की है कि मैं न्यायपालिका व पुबिलस का सम्मान व मनोबल बढ़ाने के लिये राजोआणा भिण्डरावाले के कट्टरपंथी सिक्ख समाज को जगाने व बचाने के लिये अपनी जान पर खेल कर लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन करनाल पुलिस अधिक्षक शंशाक आनन्द जैसे अधिकारी केवल सिक्ख समाज की वोटों के भूखे नेताओं को खुश करने के लिये कनून की धज्जियां उड़ाते हुए मेरे विरुद्ध बेबुनियाद झूठे मुकदमें दर्ज करने सहित घर में नज़र बंद करने अवैध हिरासत में रख कर न जाने क्यों हत्यारे देश द्रोही व आतंकवादी राजोआणा-भिण्डरावाले के कट्टर पंथी सिक्ख समर्थकों का मनोबल बढ़ा रहे है तथा इस प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग की है।

भविष्य निधि विभाग बना मज़दूर विरोधी

फ़रीदाबाद (म.मो.) एस. आर. एस. रेजीडैन्सी सैक्टर 88 फ़रीदाबाद में बन रही स्कूल बिल्डिंग गिरने से हुई 6 मौतों को दो महिने से अधिक समय हो चुका है लेकिन मृतक मज़दूरों के आश्रितों को आज तक पी.एफ़ (भविष्य निधि विभाग) एक्ट के अर्न्तगत मिलने वाले लाभ मिलना तो दूर पी. एफ. विभाग ने मृतकों के बारे में प्राथमिक आंकडे भी जुटाने की ज़हमत नही उठाई है इतना तो तब है, जब श्रम विभाग ने पी एफ विभाग के कमिश्नर को इस बारे चार फरवरी को पत्र भी लिखा है। श्रम विभाग ने भी यह पत्र कोई स्वयं सज्ञांन लेकर नही भेजा बल्कि इस मामले का पी.एफ विभाग के एक सेवानिवृत अधिकारी कृष्ण चन्द्र द्वारा उपायुक्त फ़रीदाबाद के समक्ष उठाने के बाद भेजा है। इस पत्र में मज़दूरों के नाम पते भी दिये हैं लेकिन पी.एफ. विभाग द्वारा अभी तक तो कोई कार्रवाई की हो, ऐसी कोई सूचना नहीं है देश के तमाम हिस्सों में सैंकड़ों हज़ारों निर्माण कम्पनियां निर्माण कार्यों में कार्यरत है जहां लाखों की संख्या में मज़दूर कार्यरत हैं लेकिन पहले तो सरकार की मिली भगत से पी.एफ. का सदस्य बनने हेतु 6500 मासिक वेतन की अधिकतम सीमा को आज तक भी नहीं बढ़ाया है जो एक दशक पहले निर्धारित की थी, दूसरे पी.एफ. विभाग की अनदेखी से अधिकांश मज़दूरों को पी.एफ. का सदस्य ही नहीं बनाया जाता है। इसमें कम्पनियां अपने मज़दूरों का फर्जी रिकार्ड बनाकर रखती है जिसमें उन्हें 6500 से अधिक वेतन प्राप्त कर्ता दर्शाया जाता है जबकि वास्तविक मज़दूरी उन्हे 5000 भी नहीं दी जाती है। इस प्रकार अधिकांश मज़दूर पी.एफ. की लाभकारी योजनाओं से वंचित कर दिये जाते हैं।

फ़रीदाबाद में ही नहर पार वर्षों से बहुमंजिला इमारतें बन रही है जहां हज़ारों मज़दूर कार्यरत हैं लेकिन पी.एफ. का लाभ सैंकडों तक को भी नहीं मिल रहा है।

फ़रीदाबाद में ही नहर पार वर्षों से बहुमंजिला इमारतें बन रही है जहां हज़ारों मज़दूर कार्यरत हैं लेकिन पी.एफ. का लाभ सैंकडों तक को भी नहीं मिल रहा है। इसी कारण आजतक एस.आर. एस. रेजीडैन्सी सैक्टर-88 के मृतकों के आश्रितों की सुध पी.एफ. विभाग ने नहीं ली है।

एक ऐसा ही केस करीब एक वर्ष पूर्व पलवल में भी हुआ था जहां कई मज़दुर श्रीराम कॉलेज की निर्माणाधिन इमारत का लैन्टर गिर जाने से मर गये थे उनके बारे में पी.एफ कार्यालय के अधिकारियों ने मालिकों से मोटे पैसे खाकर मृतकों के परिवारों को आज तक कोई भी पैंशन का लाभ नहीं दिलवाया है जिसके वे कानूनी तौर पर अधिकारी हैं। अगर आज ग्रेटर फ़रीदाबाद का ठीक से निरिक्षण करवाया जाय तो कई हज़ार मज़दूर ऐसे मिलेगें जिनको पी. एफ. का सदस्य ही नही बनाया गया है तथा वे इस लाभ से वंचित है। आए दिन छोटी-बड़ी घटनाऐं होती रहती है, मज़दूर मरते रहते हैं उनके तथा उनके परिवारों के भविष्य का पी.एफ.अधिकारी सौदा करके अपनी कमाई कर रहे हैं। जिसकी तुरंत जांच व कार्य की जरूरत है।